बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 211572 / पटना, दिनांक 5/12/14

सं0सं0-ग्रा0वि0-03/प्रसार पदा0- 02-10/2009

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
(कटिहार, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, वैशाली, सारण, भागलपुर, पं0 चंपारण, औरंगाबाद, गया एवं रोहतास को छोड़कर ।)

विषय:- **प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं महिला प्रसार पदाधिकारी के अंशदायी भविष्य निधि की राशि का सामान्य निधि में स्थानान्तरण करने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 1872 दिनांक- 02.03.10, पत्रांक-184103 दिनांक- 29.04.14, पत्रांक- 187825 दिनांक- 09.06.14, पत्रांक- 199857 दिनांक- 05.09.14 एवं पत्रांक- 206481 दिनांक- 22.10.14

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा आपके प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं महिला प्रसार पदाधिकारी के अंशदायी भविष्य निधि की राशि को सामान्य भविष्य निधि के स्थानान्तारित करने के संबंध में कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया था, परंतु वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है ।

विदित हो कि इस मामले से संबंधित अनेक वाद न्यायालय में लंबित है एवं वित्त विभाग द्वारा भी कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए संचिका पुन: वित्त विभाग को भेजने का परामर्श दिया गया है ।

अत: अनुरोध है कि विषयांकित मामले में स्पष्ट प्रतिवेदन इस विभाग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विशवासभाजन

(मनोज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

Letter No-68 (LEO D.Drive) Helpline No- 1800120801